न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :— 27 / 2024

प्रार्थीः—

ओमाराम उर्फ उमा पुत्र डायाराम जाति कुम्हार निवासी गोदो का बाड़ा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—श्री हीराचंद सुथार
वकील प्रार्थी

—:: आदेश ::— दिनांक :—11.03.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 113/39, 114/39 व 41 कुल रकबा 24.2568 हैक्टेयर ग्राम गोदो का बाड़ा तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ओमाराम पुत्र डायाराम ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ओमाराम पुत्र डायाराम के स्थान पर 'उमा पुत्र डाया' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र कमांक—भू.अ./2024/231 दिनांक 22.02.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत रामपुरा का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमाराम पुत्र डायाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता स्व. डायाराम पुत्र लालीया का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा त्रुटिवश नाम उनका नाम उमा पुत्र डाया लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्था से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि दस्तावेजात में उनका नाम ओमाराम पुत्र डायाराम दर्ज है, किन्तु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम उमा पुत्र डाया दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमाराम पुत्र डायाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदो का बाड़ा तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 113/39, 114/39 व 41 कुल रकबा 24.2568 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'उमा पुत्र डाया' के स्थान पर 'ओमाराम पुत्र डायाराम' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:21 IST
Reason: SelfAttested